



2026:AHC:129104

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15236 / 2026

आमिरआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अंकित श्रीवास्तव, चौधरी दिल निसार, मो. नौशाद

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 23 / 2026, अंतर्गत धारा 8/29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना- झिंझाना, जिला- शामली में जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक की मौके से गिरफ्तारी नहीं हुई है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त अरशद और सारिक के इकबालिया बयान में सामने आया है, जिन्हें पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया था। आवेदक की निशानदेही पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि सह-अभियुक्त सारिक के कब्जे से 510 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अरशद को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6320 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के प्रस्तर संख्या 20 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है और वह दिनांक 16.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अरशद को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मुकदमे के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अरशद को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 16.04.2026 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- आमिर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए:—

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. / 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप विरचन और (3) धारा 313 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत कथन दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



25 जून, 2026

ललित शुक्ला

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"